राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

रावतभाटा रोड, कोटा (राज0)

फोन नं0 0744-2473003 फेक्स नं 0744-2473033 वेब साइट- www.rtu.ac.in

----

कमांकः-एफ(4)विज्ञा.-2/ क्लर्क ग्रेड–II (कनिष्ठ लिपिक)**/2014/**

विज्ञापन कमांक-2/2014

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा निम्न पदों हेतु ऑन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

पदनाम	कुल पद	आयु	पे बेण्ड	ग्रेड पे
क्लर्क ग्रेड–**II** (कनिष्ठ लिपिक)	29	1 जनवरी 2015 को न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 35 वर्ष	5200–20200	2400/–

क्लर्क ग्रेड–**II** (कनिष्ठ लिपिक) के रिक्त पदों का विवरण

कुल पदों की संख्या	अ0जा0			अ0ज0जा0			पिछड़ा वर्ग			विशेष पिछड़ा वर्ग			सामान्य			भूतपूर्व सैनिक	निःशक्त जन			खिलाड़ी	महिला		
	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग		**B/LW**	**HI**	**LD/CP**		विधवा	परित्यक्ता	योग
29	4	2	6	2	1	3	6	2	8	–	–	–	8	4	12	5	1	1	–	1	1	–	1

मुख्य बिंदु :–

01. पदों की संख्या घटाने / बढ़ाने /भरने अथवा नहीं भरने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा ।
02. सभी नियुक्तियॉं राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.11(7) एफडी (रूल्स) 2008 दिनांक 12.09.2008, एफ.14(1) एफडी(रूल्स) 2009 दिनांक 12.10.2009 व समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार 2 वर्ष के लिए परीवीक्षाधीन होगी।
03. राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार विश्वविद्यालय राज्य सरकार के आरक्षण सम्बन्धित आदेशों/निर्देशों की पालना के लिए कटिबद्ध है ।
04. आवेदन का प्रारूप, रिक्तियों एवं आरक्षण की स्थिति, आवेदन शुल्क (वापसी योग्य नहीं), पद की योग्यता/अनुभव, आयु सीमा, नियम एवं शर्ते, इत्यादि विश्वविद्यालय की वेब–साईट पर उपलब्ध है।
05. आवेदन पत्र ऑन लाईन भरने होगें जिसकी वेब–साईट www.rtu.ac.in पर उपलब्ध है तथा हेल्प लाईन नं. 9571213674 है ।
06. ऑन लाईन फार्म भरने की अंतिम तिथि दिनांक 22.08.2014 मध्य रात्रि 12 बजे तक होगी ।
07. ऑन लाईन बैंक चालाना द्वारा आवेदन शुल्क (पी.एन.बी. की किसी भी शाखा में) जमा कराने की अंतिम तिथि 23 अगस्त, 2014 (शनिवार) बैंक लेन–देन समय तक होगी ।

कुलसचिव

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज0)

क्लर्क ग्रेड–**II** **(**कनिष्ठ लिपिक) प्रतियोगी परीक्षा, 2014

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा हेतु क्लर्क ग्रेड–II (कनिष्ठ लिपिक) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2014 के लिए निर्धारित ऑन–लाइन आवेदन पत्र (**On Line Application form**) आमंत्रित किए जाते हैं।

विशेष नोटः–(1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

(3) जिस आरक्षित वर्ग में महिलाओं के पद आरक्षित नहीं होगें उन्हें आयु सीमा की छूट उसी वर्ग के पुरुष को देय छूट के अनुसार ही देय होगी।

1. आवेदन प्रक्रिया– आवेदन On line Application Form में लिये जाएगें। ऑन–लाइन आवेदन पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेब साइट www.rtu.ac.in पर उपलब्ध है। हाथ से भरे गए आवेदन पत्र किसी भी रूप में विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

2. क्लर्क ग्रेड–**II** **(**कनिष्ठ लिपिक) के रिक्त पदों का विवरण

कुल पदों की संख्या	अ0जा0			अ0ज0जा0			पिछडा वर्ग			विशेष पिछडा वग			सामान्य			भूतपूर्व सैनिक	निशक्त जन			खिलाडी	महिला		
	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग		B/LW	HI	LD/CP		विधवा	परित्यक्ता	योग
29	4	2	6	2	1	3	6	2	8	–	–	–	8	4	12	5	1	1	–	1	1	–	1

शैक्षणिक योग्यता :

क. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा,

और

ख. इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डीओईएसीसी द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

या

व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ओपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ओ.प्रो.स)/डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सोफ्टवेअर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।

या

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा संचालित, राजस्थान नोलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा.)।

(A) Senior Secondary from a recognised Board or its equivalent examination,

and ï

(B) "O" level or higher level Cerificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

Or

Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) certificate organised under National/ State Council of Vocational Training Scheme.

Or

Diploma in Computer Science/Computer Applications from a University established by law in India or from an institution recognised by the Government.

Or

Diploma in Computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognised by the Government.

Or

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RS-CIT) conduced by Verdhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited,"

आवश्यक नोट :– परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्त्ती के लिए नियमों या अनुसूची यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति, पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे विष्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा की दिनांक तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा अन्यथा आवेदक अपात्र माना जाएगा।

PATTERN OF QUESTION PAPER :

1. Objective Type Question Paper.

2. Maximum Marks: 800

3. Number of Questions: 200 each Question will be of 4 Marks
(Part-I-100 Questions, 400 Marks
Part-II-100 Questions, 400Marks)

4. Duration of Paper : Three Hours.

5. All Questions carry equal marks.

6. There will be Negative Marking of 1(One) number for each wrong answer.

क्लर्क ग्रेड–II (कनिष्ठ लिपिक) के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण

परीक्षा की स्कीम :– प्रतियोगी परीक्षा के फेज–। में निम्नलिखित एक प्रश्न पत्र उसके सामने दर्शित अंकों का होगा, अर्थात् :–

प्रश्न पत्र	अवधि	अंक	प्रश्नों के प्रकार
फेज–I			
पार्ट–1 सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित।	3 घण्टे	400	100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न
पार्ट–2 सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी।		400	100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न
कुल समयावधि एवं अंक	3 घन्टे	800	

नोटः– प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा ।

फेज–II

I. विशेष योग्यजन (निःशक्त व्यक्तियों) से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए :

1. कम्प्यूटर पर हिन्दी में टंकण

क. गति परीक्षण	10 मिनट	100 अंक
ख. दक्षता परीक्षण	10 मिनट	100 अंक

2. कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण

क. गति परीक्षण	10 मिनट	100 अंक
ख. दक्षता परीक्षण	10 मिनट	100 अंक
कुल समयावधि एवं अंक	40 मिनट	400 अंक

II- विशेष योग्यजन (निःशक्त व्यक्तियों) को उनके द्वारा फेज I में प्राप्त औसत अंक दिये जायेंगे।

पाठ्यक्रम

PART – I

(सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित)

सामान्य ज्ञान ;GENERAL KNOWLEDGE)

1. सामयिक मामले (सम्बन्ध)– राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएँ एवं मुद्दे तथा सम्बन्धित संगठन एवं संस्थाएँ ।
2. भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन– (अ) भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी (ब) राजस्थान की भौतिक दशाएँ– जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन – जनसंख्या एवं जनजातियाँ, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन – खनिज, वन, जल, पषु, वन्य प्राणी एवं संरक्षण।
3. राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास– राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ, मरु भूमि के विकास सम्बन्धी परियोजनाएँ, हस्त उद्योग । विभिन्न आर्थिक योजनाएँ, कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएँ और इनमें पंचायती राज एवं उनकी भूमिका।
4. राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति –
   (अ) मध्यकालीन इतिहास ।
   (आ) स्वतन्त्रता आन्दोलन एवं राजनैतिक चेतना ।
   (इ) राजनैतिक पुनर्गठन ।
   (ई) लोक भाषाएँ (बोलियाँ) एवं साहित्य ।
   (उ) लोक संगीत एवं लोक नृत्य ।
   (ऊ) सन्त, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियाँ तथा साम्प्रदायिक सौहार्द ।
   (ए) मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण ।

5. राजस्थान का औद्योगिक विकास –
   (अ) प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र ।
   (आ) कच्चे माल की उपलब्धता ।
   (इ) खनिज आधारित बड़े, छोटे एवं कुटीर उद्योग ।
   (ई) ऊर्जा के विभिन्न स्रोत– जल विद्युत्, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा।

दैनिक विज्ञान (EVERYDAY SCIENCE)

1. भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन ;Physical and Chemical Changes); ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएँ ;Oxidation and reduction reactions); उत्प्रेरक (Catalysts)।

2. धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक ;Metals, non-metals and their important compounds); सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक (Some important compounds used in daily life) ।

3. कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक (Carbon and important compounds of carbon); हाइड्रोकार्बन (Hydrocarbons); कार्बन के अपररूप ;Allotropes of carbon); क्लोरो–फ्लोरो कार्बन या फ्रियॉन (Chloro-Fluoro Carbon or Freons); सी.एन.जी. (Compressed Natural Gas); बहुलक (Polymers); साबुन एवं अपमार्जक (Soap and detergents) ।

4. प्रकाष का परावर्तन व इसके नियम (Reflection of light and its laws); प्रकाश का वर्ण विक्षेपण (Dispersion of light); लेंस के प्रकार (Types of lenses); दृष्टि दोष तथा उसका निवारण (Defects of vision and their corrections) ।

5. विद्युत (Electricity) : विद्युत् धारा (Electric current); ओम का नियम (Ohmõs law); विद्युत् सेल (Electric cell); फैराडे के विद्युत् चुम्बकीय–प्रेरण के नियम (Faradayõs laws of electro magnetic induction); विद्युत् जनित्र (Electric generator); विद्युत् मोटर (Electric Motor); घरों में विद्युत् संयोजन व्यवस्था (Electric connection arrangements in houses); घरों में काम आने वाली विद्युत् युक्तियों की कार्यविधि, रख–रखाव एवं उपयोग में लेते समय सावधानियाँ (Working, maintenance and precautions during use of house hold electrical appliances)।

6. अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी (Space and information technology); भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम (Space research programme of India); सूचना प्रौद्योगिकी (Information technology)।

7. आनुवंशिकी से सम्बन्धित सामान्य शब्दावली (General terminology related to genetics); मेण्डेल के आनुवंशिकता के नियम (Mentalôs law of inheritance); गुणसूत्रों की संरचना (Structure of Chromosomes); न्यूक्लिक अम्ल (Nucleic Acids); प्रोटीन संश्लेषण का केन्द्रीय सिद्धान्त (Central dogma of protein synthesis); मनुष्य में लिंग निर्धारण (Sex determination in human) ।

8. पर्यावरण अध्ययन (Environmental study) : पारिस्थितिक तन्त्र की संरचना (Structure of ecosystems); पारिस्थितिक तन्त्र के जैविक घटक (Biotic factors of ecosystem); पारिस्थतिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह (Energy flow in ecosystem); जैव भू रासायनिक चक्र (Biogeochemical cycles); जैव प्रौद्योगिकी : सामान्य जानकारी (Biotechnology ï General information); जैव–पेटेन्ट (Bio-patent); नई पादप किस्मों का परिवर्धन (Development of new plant varieties); ट्रांसजेनिक जीन या पराजीनी जीव (Transgenic organisms)।

9. जन्तुओं का आर्थिक महत्व (Economic importance of animals); पादपों का आर्थिक महत्व (Economic importance of plants)।

10. रक्त समूह (Blood groups); रक्ताधान (Blood transfusion); आर.एच.कारक (Rh factor) । रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य (Pathogens and human health); कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य (Malnutrition and human health) । मानव रोग : कारण एवं निवारण (Human disease : Causes and cures)।

गणित (MATHEMATICS) :

1. वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल (6 अंकों की संख्याओं तक) ।
2. गुणनखण्ड, बहुपद के गुणनखण्ड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक ।
3. अनुपात–समानुपात, प्रतिषतता, लाभ–हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा ।
4. एक बिन्दु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएँ, सरल रेखीय आकृतियाँ, त्रिभुजों की सर्वांगसमता, समरूप त्रिभुज, कार्त्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिन्दुओं के मध्य दूरियाँ, दो बिन्दुओं के मध्य दूरियों का आन्तरिक एवं बाह्य विभाजन ।
5. समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, षंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ।
6. कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ, ऊँचाई–दूरी की सामान्य समस्याएँ ।
7. आँकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक ।

PART – II (GENERAL HINDI & ENGLISH)

सामान्य हिन्दी

Å–संधि और संधि विच्छेद ।
Å–सामासिक पदों की रचना और समास–विग्रह ।
Å–उपसर्ग ।
Å–प्रत्यय ।
Å–पर्यायवाची शब्द ।
Å–विपरीतार्थक (विलोम) शब्द ।
Å–अनेकार्थक शब्द ।
Å–शब्द–युग्म ।
Å–संज्ञा शब्दों से विषेषण बनाना ।
Å–शब्द–शुद्धि : अषुद्ध शब्दों का शुद्धीकरण और शब्दगत अषुद्धि का कारण ।
Å–वाक्य–शुद्धि : अषुद्ध वाक्यों का शुद्धीकरण और वाक्यगत अषुद्धि का कारण ।
Å–वाच्य : कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य प्रयोग ।
Å–क्रिया : सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएँ ।
Å–वाक्यांष के लिए एक सार्थक शब्द ।
Å–मुहावरे और लोकोक्तियाँ ।
Å–अँगरेजी के पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों के समानार्थक हिन्दी शब्द ।
Å–सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिन्दी में रूपान्तरण और हिन्दी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपान्तरण ।
Å–कार्यालयी पत्रों से सम्बन्धित ज्ञान ।

GENERAL ENGLISH :

ÅTenses/Sequence of Tenses.
ÅVoice: Active and Passive.
ÅNarration: Direct and Indirect.
ÅTransformation of Sentences: Assertive to Negative, Interrogative, Exclamatory and vice-versa.
ÅUse of Articles and Determiners.
ÅUse of Prepositions.
ÅTranslation of Simple (Ordinary/Common) Sentences from Hindi to English and vice-versa.
ÅCorrection of sentences including subject, Verb, Agreement, Degrees of Adjectives, Connectives and words wrongly used.
ÅGlossary of official, Technical Terms (with their Hindi Versions).
ÅSynonyms.
ÅAntonyms.
ÅOne word substitution.
ÅForming new words by using prefixes and suffixes.
ÅConfusable words.
ÅComprehension of a given passage.
ÅKnowledge of writing letters : Official, Demi Official, Circulars and Notices, Tenders.

स्पष्टीकरण :—

1. विशेष योग्यजन (निःशक्त व्यक्ति) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राजस्थान विशेष योग्यजन (निःशक्त व्यक्तियों) का नियोजन नियम, 2011 व समय—समय पर जारी अन्य नियमों के उपबन्धों के अधीन क्लर्क ग्रेड—II (कनिष्ठ लिपिक) के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र है।

2. इस प्रकार विशेष योग्यजन (निःशक्त व्यक्ति) होने के प्रमाणस्वरूप अभ्यर्थी से, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए विश्वविद्यालय को अपना आवेदन प्रस्तुत करने के समय ऐसे अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

3. प्रश्न पत्रों का स्तर वह होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा का हैं परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विस्तार वह होगा, जो विश्वविद्यालय समय—समय पर विहित करे और उससे अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से संसूचित किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय उचित समझे।

4. प्रतियोगी परीक्षा दो फेज में — फेज I और फेज II में आयोजित की जायेगी। फेज I के समस्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगें।

5. विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के तीन गुने के अध्यधीन फेज I में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही फेज II में प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा, जो अंको का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं ।

6. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के फेज I और फेज II में प्राप्त अंको की गणना, उनकी अंतिम योग्यताक्रम अवधारित करने के लिए की जायेगी, कोई साक्षात्कार नहीं होगा । इसी के आधार पर नियमानुसार वांछित प्रमाण—पत्र एवं सत्यापन उपरान्त नियुक्ति दी जावेगी ।

7. अभ्यर्थियों के लिए कम्प्यूटर पर टंकण कार्य करना आवश्यक होगा और वे परीक्षा के समय अपने स्वयं के पेन और पेन्सिल लायेगें । टंकण परीक्षा के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर की जावेगी ।

<u>विशेष सूचना</u> :—

1. उपरोक्तानुसार भूतपूर्व सैनिकों, विशेष योग्यजन (निःशक्तजन)/उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् जिस वर्ग (SC/ST/OBC/GEN) का अभ्यर्थी उपलब्ध होगा, उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा ।
2. <u>भूतपूर्व सैनिक :</u>
   (1) भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है, अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
   (2) भूतवूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

3. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा ।
   । स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। पिछड़ी एवं विशेष पिछड़ी जाति की विवाहित महिला आवेदक को <u>अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नोन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा,</u>

तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

B महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) महिला के लिए आरक्षित हैं। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

4 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं, से ही भरे जायेंगे । राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जाएगा ।

5 अ0जा0/अ0ज0जा0 के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य/पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा । राजस्थान के अन्य पिछडी जाति, भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा ।

6. विशेष योग्यजन (निःशक्त व्यक्तियों) के लिए :– i विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

ii विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) आवेदक On line Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

पपप ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान विशेष योग्यजन (निःशक्त व्यक्तियों) का नियोजन नियम, 2011 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य सरकार के नियमानुसार गठित चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त विशेष योग्यजन (निःशक्त व्यक्ति) का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान विशेष योग्यजन (निःशक्त व्यक्तियों) के नियोजन नियम, 2011 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त विशेष योग्यजन (निःशक्त व्यक्ति) का प्रमाण–पत्र, जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक विशेष योग्यजन (निःशक्त व्यक्तियों) हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

7. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है, तो इसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

8. ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके तिथि 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान् उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती,

परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे (जुड़वाँ) पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय, इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा,

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो गणना नहीं की जावेगी।

9. पेंशनः– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार दिनांक 1–1–2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

10. ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि दिनांक 20.01.2006 के पश्चात् विष्वविद्यालय सेवा में नियुक्त होगा, को दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए नियुक्ति दी जावेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) (पद का पे–बेण्ड 5200–20200 एवं ग्रेड–पे 2400/– में मासिक नियत पारिश्रमिक 7900 नियमानुसार) राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महँगाई

भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। इस क्रम में परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएँ एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/परिपत्र लागु होगें।

11 आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है ।

3. <u>आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि</u> –

ऑन लाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि 22 अगस्त, 2014 (शुक्रवार) को रात्रि 12.00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय सीमा के भीतर ओन लाइन आवेदन करें।

बैंक में परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 23 अगस्त, 2014 (शनिवार) बैंक के कार्य समय तक रहेगी। निर्धारित परीक्षा शुल्क, निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

4. <u>परीक्षा का माह एवं दिनांक</u> –

परीक्षा आयोजित होने की सूचना website एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी । परीक्षा राज्य के निर्धारित जिला मुख्यालयों (जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर) पर ली जावेंगी। परीक्षा दिनांक, जिला एवं परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। अतः आवेदक लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित जिला मुख्यालयों में से एक जिला मुख्यालय का नाम अवश्य भरें। लिखित एवं टंकण परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

5. <u>परीक्षा शुल्क</u> :–

आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क पंजाब नेशनल बैंक की राजस्थान में स्थित किसी भी शाखा में जमा करवा सकता है ।

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विषेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु – रुपये 500/–

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विषेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु– रुपये 300/–

(ग) समस्त विशेष योग्यजन (निःषक्तजन) तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु–रुपये 100/–

<u>नोटः– आवेदक द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने पर उसका आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा । परीक्षा शुल्क एक बार जमा करवाने पर वापिस नहीं किया जायेगा</u> ।

6. <u>आयु</u> :– <u>आवेदक 1 जनवरी, 2015 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ होगा</u> (केवल नवीन रूप से आवेदन कर रहे आवेदकों के लिए) । जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया हुआ है उनके लिए पूर्व अंकित तिथियों से ही गणना की जावेगी ।

1. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
2. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामले में 10 वर्ष की छूट होगी।
3. सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।
4. भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रोस / वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी ।
5. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा, चाहे वे विश्वविद्यालय के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें दो अवसर दिये जाएँगे।

6. एनसीसी कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एनसीसी में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
7. राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (Substantive) रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक होगी तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8. विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं (परितयक्ता) के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। स्पष्टीकरण– विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला (परित्यक्ता) के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सक्षम न्यायालय द्वारा देय आदेश को सबूत के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
9. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमो के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय :–
   1. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु– 10 वर्ष
   2. अ0पि0जा0 वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु– 13 वर्ष
   3. अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु– 15 वर्ष

नोट – उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान **"Non Cumulative"** हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

7. अनापत्ति प्रमाण पत्र :–

सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र ओन लाइन ही भरेंगे। ऐसे आवेदकों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को द्वितीय चरण की परीक्षा से पूर्व प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक पहले से कार्यरत हैं, उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा विश्वविद्यालय को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है, तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

8. नियुक्ति के लिये अयोग्यता :–

1. किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि विश्वविद्यालय संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए उसके पास विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को, जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं मानी जाएगी। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि विश्वविद्यालय संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए उसके पास विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके तिथि 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान् उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती,

   परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे (जुड़वाँ) पैदा होते है, वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा,

   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो गणना नही की जावेगी।

4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
5. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक, जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

9. आवेदन कैसे करें :–

अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
नोट – राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर एवं नोन क्रीमिलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उसी श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान दें :–

1. ऑन लाइन आवेदन के साथ आवेदकों को किसी भी तरह के प्रमाण पत्रों की प्रतियॉ विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करनी है ।
2. ऑन लाइन आवेदन पत्र, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्त पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएँ सम्बन्धित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। ऑन लाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। प्रेषित सूचना गलत होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं उसे अपात्र माना जावेगा ।
3. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय के विज्ञापन एवं ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ–साथ सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें ।
4. विश्वविद्यालय द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जाँच द्वितीय चरण की परीक्षा से पूर्व की जावेगी । यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है, तो उसका ऑन लाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑन लाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदकों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन मय पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.rtu.ac.in पर भी उपलब्ध है ।
6. द्वितीय चरण की परीक्षा (टंकण परीक्षा) से पूर्व इस परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अपनी योग्यताओं एवं अन्य वांछनीय प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियॉ और पूर्व में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । इसके अभाव में सम्बन्धित अभ्यर्थी को द्वितीय चरण की परीक्षा के योग्य नहीं पाया जाएगा ।

विशेष टिप्पणी :–

(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से कुलसचिव,राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले

अभ्यावेदन/शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाएगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पेजर, केल्कुलेटर इत्यादि लेकर नहीं आएँ। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेन, पेंसिल, प्रवेश–पत्र या विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएँ साथ लाता है, तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्र अधीक्षक/संचालक व विश्वविद्यालय किसी की भी नहीं होगी।

(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहाँ मोबाइल फोन, पेजर या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर सहित प्रतिबन्धित वस्तुएँ साथ नहीं लाएँ, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

नोट :–

1. आवेदक, जिनके ओन लाइन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक विश्वविद्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा । परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ विश्वविद्यालय द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। विश्वविद्यालय द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति,/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है, तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी ।
2. राजस्थान के विश्वविद्यालय कर्मचारी (नॉन टीचिंग) नियुक्ति नियम 1974 के नियमानुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।
3. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है । परीक्षा का पाठ्यक्रम विष्वविद्यालय की वेब साइट http://www.rtu.ac.in पर भी उपलब्ध है।
4. श्रुत लेखक की सुविधा :– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान विशेष योग्यजन (निःशक्त व्यक्तियों) का नियोजन नियम, 2011 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (निःशक्त व्यक्ति) जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य में अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी ।
5. अनुचित साधनों की रोकथाम :– परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक/ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध विश्वविद्यालय, जो भी उचित समझेगा कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting to use unfairmeans during the course of examination" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

10. विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं Helpline :–

उम्मीदवार विष्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.rtu.ac.in पर उपलब्ध सूचना से सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के परिसर में स्थित संस्थापन अनुभाग पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं0 0744–2473062 एवं

2473924 पर सम्पर्क किया जा सकता है। On line आवेदन पत्र भरने हेतु किसी भी समस्या के लिए Helpline 9571213674 पर सम्पर्क करें ।

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव,राजस्थान तकनीकी विष्वविद्यालय,कोटा को सम्बोधित करते हुये लिफाफे पर सबसे उपर '' क्लर्क ग्रेड–**II** (कनिष्ठ लिपिक) प्रतियोगी परीक्षा–2014'' (पूर्व विज्ञापन कमांक 2/2011 दिनांक 21.11.2011 एवं विज्ञापन कमांक 2/2013 दिनांक 08.03.2013) अंकित करते हुये प्रेषित करें ।

11. आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :–

01. आवेदन पत्र भरने हेतु उम्मीदवार को वेब साइट www.rtu.ac.in के स्पदा पर login कर सम्बन्धित पद के आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा । इस हेतु प्रत्येक उम्मीदवार को इसी वेबसाइट पर सर्वप्रथम अपना नाम भरना होगा, इसी नाम के आधार पर एक User ID generate की जावेगी । Pass word उम्मीदवार को स्वयं तय करना पड़ेगा । उम्मीदवार को अपनी **User ID** व **Pass word** याद रखना पड़ेगा। इसी User ID व Pass word से उम्मीदवार को परीक्षा का प्रवेश पत्र On line Down Load करना होगा जिसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दी जावेगी।

02. **Form submit** करने से पूर्व उम्मीदवार सभी प्रविष्टियों की जॉच कर लें, संतुष्ट होने पर ही **submit** करें । **submit** करने के पश्चात् कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा । **submit** करने पर फार्म की प्रति एवं चालान **generate** होगा जिसका आवेदक प्रिंट लेकर फार्म की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें । इसे विश्वविद्यालय को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है ।

03. चालान की प्रति से पंजाब नेशनल बैंक राजस्थान की किसी भी शाखा में शुल्क जमा कराने से पूर्व उम्मीदवार चालान पर अपना नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नम्बर, आरक्षित श्रेणी एवं निर्धारित शुल्क आदि की जाँच कर लें ।

04. यह प्रविष्टयां सही होने पर ही पंजाब नेशनल बैंक की राजस्थान की किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि तक बैंक कार्य समय में निर्धारित शुल्क जमा कराकर चालान के दो हिस्से प्राप्त कर सुरक्षित रखें । इसे भी विश्वविद्यालय को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है ।

कुलसचिव